न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही–ज्ञानपुर।

परिवाद संख्या–4096 सन् 2005

UPSN040004712005

राजपति–––––– बनाम–––––रामपति आदि।

09.03.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण रामपति, कमलाशंकर, रमेश व कृष्ण कुमार की तरफ से हाजिरी माफी प्रस्तुत की गयी। दौरान विचारण वाद अभियुक्त राजबली की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अंतर्गत धारा–245 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक–23.02.2026 पर पूर्व तिथि में सुना गया तथा आज वास्ते आदेश नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–245 दं0 प्र 0 सं0 प्रस्तुत कर कथन किया है कि वे अपनी जमानत कराये हैं और मुकदमे को कंटेस्ट कर रहे हैं। प्रार्थीगण , वादी मुकदमा अथवा किसी को न तो मारा –पीटा न तो गाली दिया न तो किसी प्रकार कोई अपराध कारित किया है। उक्त मुकदमा काफी पुराना हो चुका है और वादी की तरफ से कोई समुचित पैरवी नहीं की जा रही है। अतः निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाय।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई वर्षों से साक्ष्य अंतर्गत धारा –244 दं0 प्र 0 सं0 में नियत होती रही, किन्तु परिवादी की ओर से धारा –244 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर परिवादी अंतिम बार दिनांक –06.01.2006 को उपस्थित आया, परन्तु आज तक परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंतर्गत धारा–244 दं0 प्र 0 सं0 दर्ज नहीं कराया गया। पत्रावली एक्शन प्लान से सम्बन्धित है तथा न्यायालय की प्राचीन पत्रावलियों /एक्शन प्लान के अंतर्गत है। पत्रावली प्राचीन है और माननीय उच्च न्यायालय के एक्शन प्लान के अंतर्गत है। पत्रावली पर परिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त साक्ष्य अंतर्गत धारा–244 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक– 10.02.2026 को समाप्त कर दिया गया और प्रार्थनापत्र दिनांकित–23.02.2026 पर आपत्ति हेतु अवसर भी प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा आदेश दिनांकित–10.02.2026 के विरुद्ध न तो किसी उच्च सक्षम न्यायालय का कोई विपरीत आदेश प्रस्तुत किया गया और न ही इस प्रकार की कार्यवाही हेतु किसी अवसर की याचना की गयी है।

पत्रावली पर धारा–244 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवाद कथानक में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को आधारहीन पाते हुये न्यायालय अंतर्गत धारा–245(2)दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण रामपति, कमलाशंकर, रमेश व कृष्ण कुमार को उन्मोचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

परिवाद संख्या–4096 सन् 2005, अंतर्गत धारा–323,504,506,406,452, 427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोईरौना, जिला भदोही में अभियुक्तगण रामपति , कमलाशंकर, रमेश व कृष्ण कुमार को अन्तर्गत धारा 245(2)दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही–ज्ञानपुर।